

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या: 130/2019

बैंक आफ बडौदा शाखा-मुख्य ब्यावर शाखा, ब्यावर जिला अजमेर(राज0) जरिये अधिकृत अधिकारी।

.....प्रार्थी / सिक्क्योर क्रेडिटर

बनाम

मैसर्स किशनलाल एण्ड कम्पनी प्रो0 श्री ओम प्रकाश सोनी पुत्र श्री बाबुलाल सोनी लोहिया बाजार, पांच बत्ती, तहसील ब्यावर जिला-अजमेर (राज0)

.....अप्रार्थी / ऋणी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्क्युराईटेशन रिक्सट्रक्शन
आफ फाईनेन्शियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ
सिक्क्युरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :- श्री प्रवीण जोशी - अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक 01.10.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी को दिनांक 19.02.2015 को रु. 60,00,000/- (अक्षरे साठ लाख रुपये मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थीगण/ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर श्री ओप्रकाश सोनी पुत्र श्री बाबुलाल सोनी का मौहल्ला तेजा चौक, माधोपुरिया गली, ब्यावर (राज0) स्थित मकान नं0 5 ए एम सी नं0 01/451 (पुराना)=2/2 (नया) क्षेत्रफल 231.11 वर्ग गज को बतौर जमानत प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 30.06.2019 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 01.07.2019 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रुपये-59,99,203.75/- (अक्षरे उनसठ लाख निम्नानबे हजार दौ सो तीन एवं पिचेहतर पैसे) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी बैंक को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पत्ति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।



W. K. Sharma
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पत्ति श्री ओप्रकाश सोनी पुत्र श्री बाबुलाल सोनी का मौहल्ला तेजा चौक, माधोपुरिया गली, ब्यावर (राज0) स्थित मकान नं0 5 ए एम सी नं0 01/451 (पुराना)=2/2 (नया) क्षेत्रफल 231.11 वर्ग गज जिसके पूर्व में-मकान श्री जगन्नाथ जी ब्राह्मण के वारिसान का पश्चिम में-मकानात श्री रामदेव जी सुनार व श्री जुगलकिशोर जी का दरम्यान दीवार शामलात की मिलकियत है, उत्तर में- गली, रास्ता आम, माधोपुरिया गली ब्यावर, दक्षिण में- चौक व आम सडक, तेजा चौक, ब्यावर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 01.10.2019 को सुनाया गया।



(विश्व मोहन शर्मा)

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर